

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

कमांक:-ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(890)/2019/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.20(1)एफ.डी/(प्रप-2)/92 दिनांक 25.01.92 एवं संशोधित आदेश कमांक: एफ.11(7)एफ.डी/रुल्स/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं एफ.11(7) वित्त (नियम)/2008 पार्ट-1 दिनांक: 06.10.2008 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.जी. स्वीकृत की जाती है।

नाम कर्मचारी	पदस्थान स्थान	संवर्गमें प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	एसीपी देय तिथि	27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पे-बैंड व ग्रेड-पे
श्री गोपालकृष्ण शर्मा, स्वा0 निरी0	बीकानेर	03.01.1987	03.01.2014 (27वर्ष)	03.01.2014	पै-बैंड, 9300-34800 ग्रेड-पे, 4800

sl
(राकेश शर्मा)

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

कमांक:-ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(890)/2019/146

दिनांक:-21/2/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को उनके पत्र कमांक: 629 दिनांक: 17.01.2019 के सन्दर्भ में।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश पत्रावली।

sl
अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।